

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक : 411/2013 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 09.07.2013

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 24वर्ष
निवासी चक माधौपुर थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—379 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0 गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 05-12-2017 को घोषित)

1. आरोपी पर दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरौआ धाम मंदिर थाना मौ में स्थित पिछले गेट के बाहर फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-07-एमएच-3135 कीमत लगभग 12,000/-रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा 379 के अंतर्गत आरोप है।
2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.12 को फरियादी आनंद शर्मा राजेश शर्मा के साथ अपने भाई विजयकांत की काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क0 एमपी-07-एमएच-3135 मांगकर दंदरौआ सरकार मंदिर पर दर्शन करने गया था। दंदरौआ मंदिर पर भंडारा चल रहा था उसने अपनी पल्सर मोटरसाइकिल मंदिर के पिछले गेट के बाहर खड़ी कर दी थी तथा वह और राजेश मंदिर में प्रसाद चढ़ाने व दर्शन करने के लिए चले गए थे जब वह लोग दर्शन करके वापिस आए थे तो उन्हें मोटरसाइकिल नहीं मिली थी कोई अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था उस समय दिन के करीबन दस बजे थे उसने मोटरसाइकिल की तलाश की थी परंतु मोटरसाइकिल का पता न चलने पर उसने दिनांक 25.07.12 को थाने पर रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट

पर थाना मौ में अप0क0 163/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तत्पश्चात माल एवं मुल्लिजम का पता न चलने के कारण उक्त अपराध में दिनांक 15.12.12 को खात्मा रिपोर्ट कता की गई थी जिसे दिनांक 29.01.13 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था तत्पश्चात दिनांक 08.06.13 को पुनः उक्त अपराध की विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-
 1. क्या घटना दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरौआ धाम मंदिर थाना मौ से फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-07-एमएच-3135 की चोरी हुई?
 2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई ?
6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी आनन्द शर्मा अ0सा01, साक्षी राजेश शर्मा अ0सा02, ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03, आरक्षक कमल माहौर अ0सा04, निहालसिंह अ0सा05 एवं ए.एस.आई. दयाशंकर यादव अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले की दिन के 10-11 बजे की है वह अपनी पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 से दंदरौआ मंदिर पर हनुमानजी के दर्शन करने गया था उसने मोटरसाइकिल पीछे खड़ी कर दी थी जब वह लौटकर आया था तो मोटरसाइकिल उसे नहीं मिली थी कोई अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया था। उसने उक्त संबंध में थाने पर लेखीय आवेदन दिया था जो प्र0पी01 है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02 है जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजेश शर्मा अ0सा02 ने भी अपने कथन में

फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आनंद के साथ मोटरसाइकिल से दंदरौआ मंदिर पर जाने एवं वापिस आने पर मोटरसाइकिल न मिलने बावत् प्रकटीकरण किया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त दोनों ही साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों के कथन मोटरसाइकिल चोरी होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है।

8. इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने घटना दिनांक को उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 दंदरौआ मंदिर से चोरी होना बताया है। राजेश शर्मा अ0सा02 द्वारा भी फरियादी आनंद शर्मा के कथन का समर्थन किया गया है उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल चोरी होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा प्रकरण में पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 चोरी होने के संबंध में प्र0पी01 का आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है। साक्षी निहाल सिंह अ0सा05 ने भी फरियादी आनंद शर्मा की सूचना पर प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया गया है। प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 का कथन प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है उक्त बिंदु पर फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 के कथन का समर्थन राजेश शर्मा अ0सा02 एवं निहाल सिंह अ0सा05 द्वारा भी किया गया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में फरियादी की अखंडनीय रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
9. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्र0 2

10. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को नहीं जानता है उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पहले दंदरौआ मंदिर से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे पता नहीं है कि कौन व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था। हाजिर अदालत आरोपी उसकी मोटरसाइकिल चुराकर नहीं ले गया था।
11. राजेश शर्मा अ0सा02 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को दंदरौआ मंदिर से मोटरसाइकिल चोरी होना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था।

12. ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 08.06.13 को वह ए.एस.आई. राकेश प्रसाद एवं फोर्स के साथ अप0 क्र0 172/12 धारा 394 भा0द0सं0 एवं 11,13 एमपीडीपीके एक्ट में आरोपी राजू गुर्जर की तलाश हेतु ग्राम जुमलेदार का पुरा गया था उसने आरोपी राजू की घर पर तलाश की थी राजू मिला था उसे गिरफ्तार किया था उसके घर पर पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की खड़ी थी जिसके संबंध में पूछताछ की थी तो उसने मोटरसाइकिल दंदरौआ मंदिर से चोरी करना बताया था फिर उसके द्वारा आरोपी से धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम लिया गया था एवं आरोपी के विरुद्ध द0प्र0सं0 की धारा 102 एवं धारा 379 भा0द0सं0 का अपराध तैयार किया गया था एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस्तगासा प्र0पी04, मेमोरेण्डम प्र0पी05, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी07 है जिनके क्रमशः ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।
13. साक्षी कमल माहौर अ0सा04 ने भी अपने कथन में आरोपी से काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल जप्त करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि मेमोरेण्डम प्र0पी05, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी06 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी07 है जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
14. साक्षी निहाल सिंह अ0सा05 द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं ए. एस. आई. दयाशंकर यादव अ0सा06 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 12.06.13 को आरोपी राजू को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी08 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी राजू से पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेण्डम बनाया था जो प्र0पी09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है। फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को नहीं जानता है तथा उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल को चुराकर ले गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी मोटरसाइकिल को चुराकर नहीं ले गया था। साक्षी राजेश शर्मा अ0सा02 ने भी आरोपी राजू उर्फ राजकुमार की पहचान नहीं की है तथा व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि कौन व्यक्ति मोटरसाइकिल चुराकर ले गया था। इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 एवं राजेश शर्मा अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।
17. जहां तक आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 08.06.13 को वह अप0 क्र0 172/12 में आरोपी राजू की तलाश हेतु आरोपी राजू उर्फ राजकुमार के घर जुमलेदार का पुरा गया था वहां

उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा आरोपी के घर पर पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी थी एवं उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ कर उसने आरोपी से प्र0पी05 का मेमोरेण्डम लिया था। इस प्रकार ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने अप0 क्र0 172/12 की विवेचना हेतु आरोपी के घर जाना तथा आरोपी के घर से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त करना बताया है तथा यह भी बताया है कि तत्पश्चात् उसने प्र0पी04 का इस्तगासा तैयार किया है परंतु प्र0पी04 के इस्तगासे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अप0 क्र0 172/12 की विवेचना के दौरान आरोपी से उक्त पल्सर मोटरसाइकिल जप्त की गई थी। प्र0पी04 के इस्तगासे में वर्णित अनुसार मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजू के घर से धारा 102 द0प्र0सं0 एवं 379 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोपी से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त की गई थी परंतु यह बात ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 का ऐसा कहना नहीं है कि उसे आरोपी के पास मोटरसाइकिल होने की जानकारी मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 के कथन इस्तगासा प्र0पी04 से विरोधाभासी रहे हैं। उक्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि जब वह अप क्र0 172/12 में आरोपी राजू की तलाश हेतु उसके घर ग्राम जुमलेदार का पुरा गया था तो उसने राजू के घर पर बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी थी जबकि साक्षी कमल माहौर अ0सा04 जो कि मेमोरेण्डम प्र0पी05 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी07 का साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी राजू 11,13 डकैती के अपराध में बंद था तथा उक्त दिनांक को ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने काली पल्सर मोटरसाइकिल उसके घर पर रखी होना बताया था तब ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव मय फोर्स आरोपी के घर गए थे तथा आरोपी के घर से मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी07 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी राजू पूर्व से ही अन्य अपराध में थाने में बंद था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव ने आरोपी से पूछताछ की थी वह नहीं बता सकता है कि उस समय थाने पर कितने लोग मौजूद थे।

19. इस प्रकार साक्षी कमल माहौर अ0सा04 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी राजू पूर्व से ही डकैती के अपराध में थाने में बंद था तथा थाने में ही श्रीनिवास यादव द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने पल्सर मोटरसाइकिल उसके घर पर रखी होना बताया था तब श्रीनिवास यादव ने आरोपी के घर जाकर मोटरसाइकिल जप्त की थी जबकि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 का कहना है कि जब वह अप0 क्र0 172/12 धारा 11,13 एमपीडीपीके के अपराध में आरोपी राजू की तलाश हेतु उसके घर ग्राम जुमलेदार का पुरा गए थे तभी उन्होंने आरोपी के घर पर पल्सर मोटरसाइकिल देखी थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 एवं साक्षी कमल माहौर अ0सा04 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 का कहना है कि उन्होंने स्वयं आरोपी के घर पर मोटरसाइकिल रखी हुई देखी थी जबकि कमल माहौर अ0सा04 का कहना है कि आरोपी ने अन्य अपराध में थाने पर

पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल अपने घर पर रखी होना बताया था तब श्रीनिवास यादव आरोपी के घर मोटरसाइकिल जप्त करने गए थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर श्रीनिवास यादव अ0सा03 एवं कमल माहौर अ0सा04 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि उन्होंने स्वयं राजू के घर में पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी थी इसके बाद उनके द्वारा आरोपी से मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेण्डम बनाया गया था। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि प्र0पी05 के मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में प्र0पी05 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने आरोपी से प्र0पी05 का मेमोरेण्डम आरोपी के घर ग्राम जुमलेदार का पुरा में लेना बताया है जबकि साक्षी कमल माहौर अ0सा04 का कहना है कि श्रीनिवास यादव ने आरोपी राजू से प्र0पी05 का मेमोरेण्डम थाने पर लिया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी श्रीनिवास यादव अ0सा03 एवं कमल माहौर अ0सा04 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।
21. जहां तक ए.एस.आई. दयाशंकर यादव अ0सा06 के कथन का प्रश्न है कि तो दयाशंकर यादव द्वारा आरोपी को हस्तगत अपराध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी09 का मेमोरेण्डम लेना बताया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी09 के मेमोरेण्डम के अनुक्रम में आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी09 के मेमोरेण्डम का भी कोई औचित्य नहीं है।
22. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 ने आरोपी से पल्सर मोटरसाइकिल जप्त होना बताया है जबकि फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी राजू उसकी मोटरसाइकिल चुराकर नहीं ले गया था। इस प्रकार फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 ने स्वयं आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने से इंकार किया है यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।
23. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में की गई है एवं फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 तथा राजेश शर्मा अ0सा02 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। फरियादी आनंद शर्मा अ0सा01 द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल की चोरी नहीं की थी। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 एवं कमल माहौर अ0सा04 के कथन भी तात्त्विक बिंदुओं पर विरोधाभासी रहे हैं। ए.एस.आई. श्रीनिवास यादव अ0सा03 के कथन प्र0पी04 के इस्तगाल से भी पुष्ट नहीं रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

24. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 24.07.12 को दिन के लगभग 10:00 बजे दंदरौआ धाम मंदिर थाना मौ में स्थित पिछले गेट के बाहर फरियादी आनंद शर्मा के आधिपत्य से उसकी पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-07 -एमएच-3135 कीमत लगभग 12,000/-रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
26. आरोपी निरोध में है उसे स्वतंत्र किया जावे।
27. प्रकरण में जप्तशुदा पल्सर मोटरसाइकिल क्र0 एमपी-07-एमएच-3135 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगी नामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान- गोहद

दिनांक- 05/12/17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)